दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आरक्षित:08 सितंबर, 2021

पारित:17 सितंबर, 2021

+ **ज़मानत अर्ज़ी सं. 1303/2021**

डॉ. आशीष नैथानी ...याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री प्रमोद कुमार दूबे, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री संजय एबॉट, श्री अमित सिन्हा , सुश्री पिंकी दूबे, श्री कौस्तुभ चौहान , श्री अनुराग एंडले , श्री शशांक दीवान, श्री विकल्प शर्मा और श्री अक्षत शर्मा, अधिवक्तागण

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य सरकार ...प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री एम.एस. ओबेरॉय, राज्य के लिए अति.लो.अभि. सह इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश , आर्थिक अपराध शाखा

श्री पुनीत बजाज , शिकायतकर्ता के अधिवक्ता

कोरम :

माननीय न्यायाधीश श्री योगेश खन्ना

न्या., योगेश खन्ना (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा)

<u>न्या. श्री योगेश खन्ना,</u> (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

1. यह याचिका भा.दं.सं. की धारा 409/420/120बी के तहत थाना आर्थिक अपराध शाखा, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली में दर्ज प्राथमिकी सं. 165/2018 में याचिकाकर्ता को नियमित ज़मानत देने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता (जिसे इसके बाद इसमें दं.प्र.सं. कहा गया है) के तहत धारा 439 में दायर की गई है|

2. आरोप हैं कि याचिकाकर्ता को मैसर्स रियलक्राफ्ट बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड में दिनांक 02.07.2012 से एक निदेशक के रूप में 86% शेयर होल्डिंग की तक की सीमा में और मैसर्स प्राइमरोस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड में भी दिनांक 26.07.2021 से 36% शेयर होल्डिंग तक की सीमा में निदेशक नियुक्त किया गया था| शिकायतकर्ताओं की शिकायत यह है कि उन्होंने इन परियोजनाओं में निवेश किया था जो मैसर्स रियलक्राफ्ट बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाये जाने थे और पैसों के भुगतान के बावजूद, उन्हें कभी फ्लैट नहीं मिले और उनके पैसे धोखाधड़ी से गायब किए गए|

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि यह प्राथमिकी दिनांक 13.08.2018 को दर्ज की गई थी और याचिकाकर्ता हालाँकि

शुरूआत में जाँच में शामिल हुआ था लेकिन बाद में उसे दिनांक 09.11.2019 को गिरफ्तार कर लिया गया था| तब से आरोप-पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष दायर किया गया है और इस प्रकार जाँच पूरी हो गई है| आरोप-पत्र दायर करने के बाद यह तर्क दिया गया है कि मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है; याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय नहीं किए गए हैं , मुकदमे के दौरान 3661 विषम दस्तावेजों को साबित करने के लिए 83 गवाहों का उल्लेख किया गया है जिसमें निश्चित रूप से लंबा समय लगेगा|

4. यह प्रस्तुत किया जाता है कि कंपनियों के पाँच निदेशक थे क) यहाँ पर याचिकाकर्ता (ख) प्रमोद कुमार अग्रवाल (ग) बृजभूषण गुप्ता (घ) मनमोहन बंसल और (ङ) जयेश शर्मा, जिनमें से बृजभूषण गुप्ता को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 01.02.2021 को उसके द्वारा 4.00 करोड़ रुपये जमा करने पर नियमित ज़मानत दी गई है और प्रमोद कुमार अग्रवाल को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 05.04.2021 को दिए गए आदेश के अनुसार अग्रिम ज़मानत दी गई है; आरोपी मनमोहन बंसल और जयेश शर्मा गिरफ़्तार नहीं हुए हैं|

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का प्रति आरोप-पत्र यह प्रस्तुतीकरण है कि मैसर्स प्राइमरोस इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का बैंक

खाता बैंक ऑफ बड़ौदा, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201308 में था और उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(गण) श्री बृजभूषण गुप्ता और श्री मनमोहन थे। यह तर्क दिया गया है कि बृजभूषण गुप्ता को पहले ही ज़मानत मिल चुकी है और मनमोहन बंसल को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया बावजूद इसके कि वह मैसर्स प्राइमरोस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हैं| इसके अलावा, आरोप-पत्र के अनुसार, याचिकाकर्ता की भूमिका केवल उपरोक्त दो कंपनियों में एक निदेशक होने की है| यह आरोप लगाया गया है कि वह आवश्यक अनुमोदनों से पहले मैसर्स रियलक्राफ्ट बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई बुकिंग को न्यायोचित नहीं ठहरा सके और धन का अन्यत्र उपयोग भी नहीं कर सके। उनके खिलाफ ग्राहकों को लुभाने के आरोप भी लगाए गए हैं| उसके बाद से फ्लैट खरीदारों के सभी समझौतों पर उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। याचिकाकर्ता का आरोप है कि उसे मार्च, 2013 से अक्टूबर, 2017 तक पांच वर्षों के लिए वेतन के रूप में केवल 1.62 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

6. स्वीकृत रूप से उनके खिलाफ धन के गबन का कोई आरोप /प्रमाण नहीं है और जैसा कि आरोप लगाया गया है कि वह बैंक ऑफ बड़ौदा में रखे

गए मैसर्स प्राइमेरोस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते का हस्ताक्षरकर्ता नहीं था, जहां से धन के गबन का आरोप लगाया गया है|

7. स्वीकृत रूप से अभियुक्त बृजभूषण गुप्ता के दिनांक 01.02.2021 के जमानत आदेश (अनुलग्नक ङ) से पता चलता है कि निधियों की हेराफेरी के आरोप थे, फिर भी न्यायालय द्वारा उन्हें नियमित जमानत प्रदान की गई थी। दिनांक 01.02.2021 के आदेश में की गई टिप्पणी प्रासंगिक हैः -

> *2. xxxx जमानत निम्नलिखित आधारों पर मांगी गई हैः*
>
> *क. xxxx*
>
> *ख. xxxx*
>
> *ग. यह कि आरोपी से हिरासत में पूछताछ और विस्तृत जांच के बाद भी जांच अधिकारी ने (लगभग) 55 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी का कोई विवरण रिकॉर्ड पर नहीं दिया है| जाँच अधिकारी हेरफेर की गई राशी का असल परिमाण दायर करने में विफल रहे हैं, जाँच अधिकारी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बीच के अंतर को पाटने के लिए जिसमें कहा गया था कि 2 करोड़ रुपये की राशि का गबन किया गया और इसके परिणामस्वरूप आरपी की रिपोर्ट में कथित रूप से लगभग 55 करोड़ रुपये की राशि का गबन किया गया।*

घ. यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि कथित रूप से गबन की गई राशि 2 करोड़ रुपये थी और आरोपी जिसे समाज में सम्मानजनक दर्जा प्राप्त है, ने स्वेच्छा से दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 4 करोड़ रुपये जमा करने की पेशकश की थी, जो प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विधिवत स्वीकार कर लिया गया था और आवेदक को दिनांक 29.06.2020 के आदेश द्वारा अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था| आवेदक/अभियुक्त विधिवत जांच में शामिल हुए| चूंकि, आवेदक 4 करोड़ रुपये की राशि धन की कमी और महामारी की स्थिति के कारण जमा नहीं कर सका, जो पूर्व शर्त थी, इसलिए 09.09.2020 के आदेश द्वारा अंतरिम संरक्षण वापस ले लिया गया था और परिणामस्वरुप आवेदक को दिनांक 08.11.2020 को गिरफ्तार कर लिया गया था| यह प्रस्तुत किया जाता है कि अब परिवार के सदस्यों ने अपेक्षित धन की व्यवस्था कर ली है और वे न्यायालय के समक्ष 4 करोड़ रुपये जमा करने के लिए तैयार हैं|

ङ. xxx

च. xxx प्रस्तावित परियोजना की पूरा होने की तिथि अप्रैल 2022 है और कुल बिक्री योग्य क्षेत्र जो 9,80,365 वर्ग फुट है, में से केवल 5,26क95 वर्ग फुट का क्षेत्र बेचा गया है| कुल 754 इकाइयों में से, केवल 435 इकाइयां बेची गई हैं और लगभग 319 इकाइयां अभी भी नहीं बिकी हैं| बेची गई इकाइयों से प्राप्त कुल राशि केवल 96 करोड़ रुपये है और उक्त बेची गई इकाइयों से शेष 70 करोड़ रुपये की राशि अभी वसूल/प्राप्त की जानी है| यहां तक कि नहीं बिकी इकाइयों से 160 करोड़ रुपये की राशि मिलने की उम्मीद है|

9. उपर्युक्त प्रस्तुतियों से जो तस्वीर सामने आती है वह यह है कि आरंभ में भूमि मैसर्स प्रिमरोज द्वारा ली गई थी, जिसमें आवेदक निदेशक में से एक है। बुकिंग नई कंपनी मैसर्स रियलक्राफ्ट में ली गई, जिसमें आवेदक निदेशक नहीं है। बुकिंग मैसर्स प्राइमरोज को बाद में हस्तांतरित कर दी गई| अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों के अनुसार, केवल 70 खरीदार जांच में शामिल हुए हैं और कथित 70 खरीदारों से 20 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी की गई है| इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि

जांच अधिकारी द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार आवेदक द्वारा गबन की गई राशि 2 करोड़ रुपये बताई गई थी| आरपी की रिपोर्ट में उन्होंने खुलासा किया कि गबन की गई राशि एसएस करोड़ रुपये है। जांच एजेंसी को जांच करने के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए थे क्योंकि आरपी द्वारा उद्धृत राशि और आईओ की प्रारंभिक रिपोर्ट के बीच का अंतर काफी ज्यादा था| 29 अक्टूबर 2020 की पिछली रिपोर्ट से लगभग तीन महीने की अवधि बीतने और आरोपी की हिरासत में पूछताछ के बाद भी, जाँच अधिकारी द्वारा कोई नया तथ्य अभिलेख पर नहीं लाया गया है|

8. यहां तक कि अभियुक्त प्रमोद कुमार अग्रवाल को भी विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 05.04.2021 के आदेश के अनुसार अग्रिम जमानत प्रदान की गई थी और आदेश नोट करता है:-

1. xxx इसके बाद सह-अभियुक्त बृजभूषण गुप्ता को वर्तमान मामले में 08.11.2020 को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उन्हें सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 02.02.2021 के आदेश द्वारा वर्तमान मामले में जमानत पर रिहा कर दिया गया था,

जिससे कुछ शर्तें लगाई गई थीं और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मामले की जांच पुलिस द्वारा पहले ही की जा चुकी है। आरोप-पत्र में सत्यापन के बाद यह कहा गया है कि कंपनी में आरोपी व्यक्तियों का शेयरधारिता अनुपात मैसर्स प्राइमोरोस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड अनुपात में हैः

डॉ. आशीष नैथानी-36%
बृजभूषण गुप्ता-45%
प्रमोद अग्रवाल-14%
मनमोहन बंसल-5%
जयेश शर्मा- का उल्लेख नहीं है।

5. पिछले प्रस्तुतीकरण की निरंतरता में, आज आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 10 की स्वीकृति के अनुसार कि वर्तमान आवेदक/अभियुक्त पहले से ही बावजूद गैर जमानती वारंट के जांच में शामिल हो गए थे और उसके बाद, वर्तमान आवेदक/अभियुक्त को परेशान करने के लिए धारा 82 और 83 के तहत प्रक्रिया जारी की गई है।

6. xxx

7. इसके अतिरिक्त, आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यूपीआरईआरए द्वारा प्राइमोरोस प्राइवेट

लिमिटेड की फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना के कार्य का प्रतिशत पूरा कर लिया गया था हालांकि परियोजना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यह परियोजना के अनुसार नहीं था| परियोजना में कुल बिक्री योग्य क्षेत्र 9,80,365 वर्ग फुट जिसमे से 5,26,495 वर्ग फुट बेचा गया है। डेवलपर द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार परियोजना में 435 बेची गई इकाइयां हैं| इस परियोजना में नहीं बिके यूनिट की संख्या 319 है। बिक्री की गई इकाइयों से प्राप्त राशि रु 96 करोड़ है और मई 2019 तक बेची गई इकाइयों से प्राप्त होने वाली राशि 70 करोड़ रुपये है| नहीं बिकी इकाइयों से प्राप्त होने वाली राशि 160 करोड़ रुपये में 3300 रुपये/वर्ग फुट के औसत बिक्री मूल्य पर आंकी गई है।

8. भविष्य में कुल नकदी अंतर्वाह और भविष्य में नकदी बहिर्वाह को ध्यान में रखते हुए, परियोजना में 18 करोड़ रुपये का अधिशेष होने का अनुमान है, जिससे हमें यह अनुमान है कि परियोजना को पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं होगी|

25. यहां यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि सह-अभियुक्त बृजभूषण गुप्ता की जमानत पर विचार करते समय, यह पाया गया कि निधियों की हेराफेरी के संबंध में तथ्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है कि जांच अधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार सह-अभियुक्त बृजभूषण गुप्ता द्वारा गबन की गई राशि दो करोड़ बताई गई थी, जबकि आरपी की रिपोर्ट में, यह कथित तौर पर 55,00,00,000/- (पचपन करोड़ रुपये) की राशि की हेराफेरी की गई थी, इसलिए जांच एजेंसी को गबन की असल राशि हेतु जांच करने के लिए एक विशिष्ट निर्देश दिया गया है जो कि जाँच अधिकारी की प्रारंभिक रिपोर्ट और आरपी द्वारा उद्धृत राशि के बीच का अंतर काफी ज्यादा था| 29 अक्टूबर 2020 की पिछली रिपोर्ट से लगभग 3 महीने बीत जाने और सह-आरोपी आशीष नैथानी और बृजभूषण गुप्ता की हिरासत में पूछताछ के बाद भी, जाँच अधिकारी द्वारा कोई नया तथ्य अभिलेख पर नहीं लाया गया है।

9. जबकि, उपरोक्त जमानत आदेशों का उल्लेख करते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि अभियोजन के मामले के अनुसार, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा, निधि की हेरा-फेरी, यदि कोई हो, तो रु. 55.00 करोड़ है और आदेशों के केवल अवलोकन से पता चलेगा कि, 750 इकाइयों में से, 438 इकाइयां रु. 96.00 करोड़ में बेची गईं और निवेशकों द्वारा रु .70.00 करोड़ का भुगतान किया जाना अभी बाकी है| यह तर्क दिया जाता है कि यदि निवेशकों ने पूरी राशि का भुगतान किया होता, तो परियोजना पूरी हो सकती थी, लेकिन इसके बजाय उन्होंने प्राथमिकी दर्ज की और इससे चारों ओर भ्रम पैदा हुआ और अंततः परियोजनाओं में देरी हुई।

10. स्वीकृत है कि *रिजोल्यूशन प्रोफेशनल* की नियुक्ति कर दी गई है और परियोजना को बहुत जल्द फिर से शुरू किया जाएगा।

11. विद्वान अधिवक्ता ने इस याचिका से जुड़ी फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट (संलग्नक ज) को भी संदर्भित किया , जिसे यूपीआरईआरए के आदेश के अनुसार तैयार किया गया था और यह नोट करता है कि:-

6. 1 निधि का उपयोग

6.1.1 वर्तमान परियोजना हाल

I. मई 2019 तक ग्राहकों से संग्रहित राजस्व रु 96 करोड़ रुपये है।

II. अन्य आय स्रोतों और प्रवर्तक का योगदान 7 करोड़ रुपये है।

III. परियोजना में ऋण/वित्त से दी गई राशि रु 29 करोड़ है।

IV. परियोजना में कुल नकदी अंतर्वाह 132 करोड़ रुपये है।

V. भूमि के बकाये की ओर भुगतान की गई राशि 10 करोड़ रुपये है, हालांकि जीएनआईडीए द्वारा भुगतान सूचना में डेवलपर द्वारा भुगतान की गई राशि को 9.55 करोड़ रुपये दिखाया गया है क्योंकि स्टांप ड्यूटी और अन्य प्रभारों के लिए डेवलपर द्वारा लगभग 80 लाख रुपये का भुगतान किया गया है, जिसे भुगतान सूचना में शामिल नहीं किया गया है।भुगतान सूचना संलग्नक ख के रूप में संलग्न है।

VI. मानक बाजार मानदंडों पर अन्य लागत जैसे विपणन, प्रशासन और ओवरहेड आदि सहित निर्माण में खर्च 85 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

VII. प्राप्त ऋण/वित्त के लिए भुगतान की गई राशि 37 करोड़ रुपये है।

VIII. परियोजना में कुल नकद बहिर्वाह (लागत) 132 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

IX. कुल नकदी अंतर्वाह और नकदी बहिर्वाह को ध्यान में रखते हुए परियोजना में भारतीय रुपये का अधिशेष होने का अनुमान है।

6.1.2 भविष्य की परियोजना हाल

I. ग्राहकों से भविष्य में 230 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

II. दिनांक 4 अप्रैल, 2019 की भुगतान सूचना के अनुसार भूमि बकाया के लिए भुगतान की जाने वाली राशि 51 करोड़ रुपये है। भुगतान सूचना अनुलग्नक-ख के रूप में संलग्न है।

III. मानक बाजार मापदंडों के आधार पर अन्य लागत जैसे विपणन, प्रशासन और ओवरहेड आदि सहित निर्माण में खर्च 161 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

IV. परियोजना में भविष्य में कुल नकदी बहिर्वाह (खर्च की जाने वाली लागत) 212 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

V. भविष्य में कुल नकदी अंतर्वाह और भविष्य में नकदी बहिर्वाह को ध्यान में रखते हुए, परियोजना में 18 करोड़ रुपये का अधिशेष होने का अनुमान है, जिससे हमें यह अनुमान है कि परियोजना को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

12. इस प्रकार, यह तर्क दिया गया था कि परियोजना का भविष्य मजबूत है और यदि इसे फिर से शुरू किया जाता है तो यह 18 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित करेगा, और इसलिए निवेशकों के लिए चिंता करने का कोई कारण नहीं है।

13. स्वीकृत रूप से, याचिकाकर्ता दिनांक 09.11.2019 से हिरासत में है और उसकी जांच पूरी है; याचिकाकर्ता ने 55 महीनों की अवधि के लिए अपने वेतन के रूप में केवल 1.62 करोड़ रुपये लिए हैं और उनके खिलाफ धन की हेराफेरी का कोई सबूत नहीं है; बल्कि यह आरोप है कि स्थिति आख्या दिनांक 03.06.2021 के अनुसार याचिकाकर्ता ने *मैसर्स प्राइमेरोस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड* में 1,28,30,000/- रुपये और *मैसर्स रियलक्राफ्ट*

बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड में 1,20,00,000/- रुपये का निवेश किया है; 83 गवाहों को रिकार्ड किया जाना है , हालांकि अभी तक आरोपों की विरचना नहीं की गई है|

14. यदि कोई दिनक 27.08.2021 की स्थिति आख्या के आंतरिक पृष्ठ 4 का अवलोकन करता है तो यह इस बात की पुष्टि होती है कि याचिकाकर्ता के इस खाते में एक भी पैसा हस्तांतरित नहीं किया गया था| यह भी एक तथ्य है कि एनसीएलटी ने दिनांक 21.12.2018 को *मैसर्स प्राइमेरोस इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड* पर *अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल* की नियुक्ति की थी जिसमें कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में मुख्य रूप से घर खरीदारों को शामिल किया गया जिसने आर्थिक अपराध शाखा द्वारा प्रस्तुत स्थिति आख्या दिनांकित 03.09.2021 रिजोल्यूशन अपीलार्थी नामतः *वन सिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड* द्वारा प्रस्तावित रिजोल्यूशन परियोजना को स्वीकार किया था।

15. इस प्रकार , उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और *शरद कुमार और अन्य बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो* 2011(126) डीआरजे 525 पर भरोसा करते हुए , जहां भा.दं.सं. की धारा 409 के तहत एक अपराध के लिए जमानत मंजूर की गई थी और यह विचार करते हुए कि आरोपी

दिनांक 09.11.2019 से लगभग दो वर्षों से हिरासत में है और जांच पूरी होने के बाद , आरोपी को उनके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय/डयूटी मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर 1 लाख रुपये की राशि के निजी मुचलके को निष्पादित करने पर निम्नलिखित शर्तों पर जमानत दी जाती है।

(क) वह साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;

(ख) वह गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा;

(ग) वह विद्वान विचारण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं करेगा; और

(घ) वह अपने मोबाइल लोकेशन ऐप को हमेशा खुला रखेंगे और सभी मोबाइल फोन के बारे में जांच अधिकारी को सूचित करेगा।

16. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए , याचिका का निपटान किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटान किया जाता है।

17. इस आदेश की प्रति सूचना और अनुपालन के लिए विद्वान विचारण न्यायालय/जेल अधीक्षक को संसूचित की जाए।

न्या. योगेश खन्ना

17 सितंबर, 2021

एम

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सके एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी|*